

बिहार सरकार
कृषि विभाग ,

पत्र संख्या-3/कृ0 बजट आवंटन-17/2014-25 (आवंटन) /कृ0, पटना, दिनांक 16-06-2014

ax/Mail

प्रेषक,

रामजी सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

विषय:

खरीफ 2014 में फसल उत्पादकता में वृद्धि के लिए खरीफ महाभियान के तहत श्री विधि से धान की खेती, संकर धान प्रभेद की खेती, पैडी ट्रांसप्लान्टर, पैडी ड्रम सीडर, धान की सीधी बुआई, गहरे पानी वाले धान का तकनीकी प्रत्यक्षण, मक्का, ज्वार, बाजरा, मरुआ, अरहर की खेती का क्षेत्र विस्तार, धान के सामुदायिक नर्सरी के प्रत्यक्षण, धान रोपनहारों के प्रशिक्षण एवं फसल कटनी/ क्षेत्र दिवस कार्यक्रमों के लिए 31433.47 लाख रुपये (तीन अरब चौदह करोड़ तैंतीस लाख सैंतालिस हजार रुपये) की स्वीकृति तथा इसके अधीन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से कुल स्वीकृत 28195.59 लाख रुपये (दो अरब इकासी करोड़ पंचानबे लाख उनसठ हजार रुपये) में से सामान्य के लिए 23386.33 लाख रुपये (दो अरब तैंतीस करोड़ छियासी लाख तैंतीस हजार रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप तत्काल व्यय हेतु ₹1,95,60,00,000 (एक अरब पंचानवे करोड़ साठ लाख रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2501, दिनांक-12.06.2014 द्वारा खरीफ 2014 में फसल उत्पादकता में वृद्धि के लिए खरीफ महाभियान के तहत श्री विधि से धान की खेती, संकर धान प्रभेद की खेती, पैडी ट्रांसप्लान्टर, पैडी ड्रम सीडर, धान की सीधी बुआई, गहरे पानी वाले धान का तकनीकी प्रत्यक्षण, मक्का, ज्वार, बाजरा, मरुआ, अरहर की खेती का क्षेत्र विस्तार, धान के सामुदायिक नर्सरी के प्रत्यक्षण, धान रोपनहारों के प्रशिक्षण एवं फसल कटनी/ क्षेत्र दिवस कार्यक्रमों के लिए 31433.47 लाख रुपये (तीन अरब चौदह करोड़ तैंतीस लाख सैंतालिस हजार रुपये) की स्वीकृति तथा इसके अधीन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से कुल स्वीकृत 28195.59 लाख रुपये (दो अरब इकासी करोड़ पंचानबे लाख उनसठ हजार रुपये) में से सामान्य के लिए 23386.33 लाख रुपये (दो अरब तैंतीस करोड़ छियासी लाख तैंतीस हजार रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। तत्काल व्यय हेतु ₹1,95,60,00,000 (एक अरब पंचानवे करोड़ साठ लाख रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹1,95,60,00,000 (एक अरब पंचानवे करोड़ साठ लाख रुपये) मात्र का व्यय बजट शीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म-लघु शीर्ष-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-मांग सं-1-उपशीर्ष-0216-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, (आर.के.वी.वाई.) (ए.सी.ए.) विपत्र कोड-P2401001090216, विषयशीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में वित्तीय वर्ष, 2014-15 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.98 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरंत बाद टी०भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

सुभाष

विश्वासभाजम,

16/6/14
(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव
कृषि विभाग बिहार, पटना।

